2009:CGHC:10249

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

न्याय पीठ:

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 868/2006

प्रमिला

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 21-07-2009 को सूचीबद्ध करे।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

2009:CGHC:10249

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्याय पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 868/2006

अपीलार्थी प्रमिला पत्नी जवाहर लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कुलिडीह, थाना सनावाल, जिला सरगुजा, वर्तमान निवासी ग्राम दुगुरु, थाना सनावाल, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना- सनावाल, जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अपील - धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)

उपस्थिति:

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री प्रवीण दास, उप-शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय

(21.07.2009)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा निर्णीत:

(1) अपीलार्थी प्रमिला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 201/34 के तहत दोषसिद्ध पाया गया तथा दण्डादेश क्रमशः आजीवन कारावास एवं ₹100/- अर्थदण्ड तथा 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹100/- अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास दिया गया। समस्त दण्डादेश साथ साथ चलेगी, दिनांक 31 अगस्त, 2006

को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रामानुजगंज, जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा पारित किया गया।

(2) संक्षेप में तथ्य निम्नलिखित हैंः

स्व. रामलाल अपीलार्थी के पिता थे। सह अभियुक्त नोरासिया बाई, मृतक की पत्नी है। सह-अभियुक्त जवाहर अपीलार्थी प्रमिला का पति है एवं सह अभियुक्त रामनाथ गोंड, नोरासिया बाई का भाई और मृतक रामलाल का साला है। आरोप है कि दिनांक 23.11.2005 के पूर्व, अभियुक्तगण - प्रमिला (मौजूदा अपीलार्थी), जवाहर एवं नोरासिया बाई ने मृतक रामलाल की हत्या की तथा साक्ष्य को विलोपन करने के लिए शव को सह अभियुक्त रामनाथ गोंड की सहायता से सहारापानी जंगल में ले जाकर दफना दिया। दिनांक 23.11.2005 को, राजाराम एवं दुबराज ने रेत में दफन शव का कुछ भाग देखा। उन्होंने तत्काल अन्य ग्रामीणों को सूचना दी और घटनाक्रम बताया, तत्पश्चात मर्ग सूचना (प्र.पी-1) एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-2) दर्ज की गई।

अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुँचकर पंचों को सूचना (प्र.पी-3) दी और मृतक के शरीर का पंचनामा (प्र.पी-4) तैयार किया। घटनास्थल से पत्थर, साधारण रेत तथा रक्त लगी रेत के कुछ नमूना जब्त किए गए (प्र.पी-5)। अभियुक्तगण को हिरासत में लेने के पश्चात उनके मेमोरंडम कथन (प्र.पी-8 व 9) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत लिए गए, और अभियुक्त जवाहर की निशानदेही (प्र.पी-6) पर 2 बांस की लकड़ी एवं अभियुक्त/अपीलार्थी प्रमिला की निशानदेही (प्र.पी-7) पर कांसे का गिलास जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, रामानुजगंज भेजा गया, जहाँ डॉ. एस.के. सिन्हा (प्र.पी-7) ने परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन (प्र.पी-15) प्रस्तुत किया। उसने खोपड़ी पर 3 बाह्य चोट पाई गई: एक दाहिनी फ्रण्टो-टेम्पोरल भाग में, दूसरी बाईं टेम्पोरल-ऑक्सिपिटल भाग में तथा तीसरी दाहिनी टेम्पोरल-ऑक्सिपिटल भाग में। आंतरिक जाँच में, संबंधित हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए। शव परीक्षणकर्ता ने मृत्यु का कारण भीतरी रक्त स्राव एवं मस्तिष्क की चोट तथा मृत्यु को मानव वध प्रकृति का बताया।

अभियोजन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक की मृत्यु घर में सिर पर उक्त गिलास के करित चोटों के कारण हुई थी, जो अभियुक्तगण जवाहर, प्रमिला एवं नोरासिया बाई की सामान्य आशय को अग्रसर करने में हुई थी। मृत्यु के पश्चात मृतक का शव वन क्षेत्र में ले जाकर रेत में दफना दिया गया, जिसमें अभियुक्त रामनाथ गोंड ने भी अन्य अभियुक्तों की मदद की।

(3) माननीय सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अभियुक्ता (अपीलार्थी) प्रमिला ही मृतक की हत्या में सम्मिलित थी, जबकि अन्य अभियुक्तगण जवाहर एवं श्रीमती नोरासिया बाई शव छुपाने की प्रक्रिया में सम्मिलित थी। अतः अभियुक्ता प्रमिला को दोषसिद्ध कर उपरोक्तानुसार दण्डादेश दिया गया एवं अन्य दोनों सह अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/34 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, एवं अंतिम अभियुक्त रामनाथ गोंड को आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

(4) अपीलार्थी प्रमिला का मामला यह है की प्रमिला ने स्वयं ही बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित होकर यह कथन दिया कि घटना दिनांक को जब मृतक ने उसके साथ बलात्कार करने के आशय से हमला किया, तो उसने मृतक के सिर पर गिलास से प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी।

(5) श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता, ने तर्क किया कि मृतक ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया तब अपीलार्थी द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग किया गया। अतः अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित है एवं दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित हुए, जिन्होंने इन तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश का समर्थन किया।

(7) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई एवं सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया।

(8) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपवादों (General Exceptions) के अंतर्गत आता है, जिसकी परिभाषा अधिनियम के अध्याय-4 में दी गई है। धारा 96 के अनुसार, कोई भी कृत्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया है, वह अपराध नहीं है। धारा 96 एवं 98 कुछ विशिष्ट अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है, जबकि धारा 99 उन कृत्यों के विषय में प्रावधान करती है, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि ऐसा कोई कृत्य जिसके कारण मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्ति रूप से करित नहीं होती, सद्भावनापूर्ण अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो, उन दशाओं में, जिनमे संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। किसी भी

मामले में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। धारा 100 में यह प्रावधान है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनो के अध्यधीन, हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात् प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात् :-

प्रथम - ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा;

द्वितीय - ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा;

तृतीय - बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला;

चतुर्थ - प्रकृति विरुद्ध काम-तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला;

पंचम - व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला;

षष्ठ - इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) हमारे देश के विधि व्यवस्था में अभियोजन पर अपराध को प्रमाणित करने का भार रहता है। निर्दोषिता की धारणा अभियोजन द्वारा ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर खंडन की जा सकती है, जो अभियुक्त के अपराध सिद्ध होने का संकेत दें। तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, यदि मामला किसी सामान्य या विशिष्ट अपवाद के अंतर्गत लाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर रहता है। दण्ड संहिता की धारा 102 एवं 105 शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के आरंभ एवं जारी रहने से संबंधित है। जैसे ही अपराध करने के प्रयास अथवा धमकी से शरीर पर संकट का भय उत्पन्न होता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है भले ही अपराध अभी घटित न हुआ हो किन्तु वह तब तक बना रहता है, जब तक युक्तियुक्ति संकट बना रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह अधिकार युक्तियुक्ति संकट के बने रहने तक ही विस्तृत रहता है।

(10) अतः यदि यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थी ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कार्य किया, तो उसे यह प्रदर्शित करना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ व्याप्त थीं, जिनसे उसके विरुद्ध कथित प्रहार के समय बलात्कार किये जाने की युक्तियुक्ति आशंका उत्पन्न हुई थी। यदि उपरोक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक साक्ष्य का भार संतुष्ट नहीं किया गया, तो अपीलार्थी का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार दावा उपलब्ध नहीं होगा।

(11) अब हम उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर मामले की समीक्षा करेंगे। यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण एवं मृतक एक ही घर में रहते थे। मृतक, अपीलार्थी का पिता था। घटना के दिन अपीलार्थी की आयु लगभग 24-25 वर्ष थी। अपने साक्ष्य में उसने कहा कि घटना वाले दिन वह अपने घर में पूरी तरह अकेली थी, उसके पति व माता घर पर उपस्थित नहीं थे। संध्या लगभग 6 बजे मृतक (पिता) शराब के नशे में आया और उसके साथ अश्लील व्यवहार करने लगा। उसने यह कहते हुए विरोध किया कि वह उसकी पुत्री है, किंतु मृतक नहीं रूका और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। मृतक (पिता) उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था, जिस पर उसने मृतक के सिर पर भारी गिलास से वार किया और घर से बाहर भाग गई। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उनके आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि गिलास भारी था, जिससे मृतक के सिर पर चोट लगी और उसी के कारण मृतक की मृत्यु हो गई। उसने यह भी कहा कि शव को वही अकेले नाले तक ले गई, जहाँ शव को छुपाया गया। वस्तुतः, अपीलार्थी से अतिरिक्त लोक अभियोजक (ए.पी.पी.) ने लंबी प्रति-परीक्षण की, परन्तु ए.पी.पी. के प्रति-परीक्षण में कोई ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे कहा जा सके कि अपीलार्थी असत्य कथन दे रही थी या असत्य आधार प्रस्तुत कर रही थी ताकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ मिल सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी के साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी की मुख्यपरिक्षण में स्पष्टरूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अनेक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवचन विचारण के प्रारंभिक स्तर पर नहीं भी लिया गया हो, किंतु वास्तव में वह उपलब्ध था, तो अभियुक्त संभावनाओं एवं प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर वह अभिवचन उठा सकता है। ऐसा कोई सकारात्मक साक्ष्य, हालांकि, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, एवं साक्ष्य का भार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों से आवश्यक सामग्री निकालकर भी संतुष्ट किया जा सकता है, अथवा यह अभियोजन साक्ष्य से ही अथवा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर भी सिद्ध किया

जा सकता है। (कृपया देखें: काशी राम बनाम मध्यप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 2902; बिष्णा उर्फ़ भिष्वेद महतो बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, (2005) 12 एस.सी.सी. 657 व सलीम जिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 391)। इस न्यायालय ने भी अखिलेश कुमार व अन्य बनाम राज्य छ.ग. 2008 (1) सी.जी.एल.जे. 85 (डी.बी.) में यही दृष्टिकोण अपनाया है।

(13) अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मामले की तथ्यात्मक एवं परिस्थितिजन्य स्थिति में, माननीय सत्र न्यायाधीश ने केवल इस आधार पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को खारिज करने में त्रुटि की कि ऐसी तर्क प्रारंभ में नहीं उठाई गई थी, जबकि अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया कि घटना के दिन मृतक ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया था। उसने मृतक के सिर पर गिलास से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। यह कार्य उसके शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था और उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 100 की तृतीय खंड के अंतर्गत संरक्षित है, अतः वह दोषमुक्ति पाने की अधिकारिणी है।

(14) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थी को धारा 302 एवं 201/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि तथा दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। उस पर आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी दिनांक 27.11.2005 से जेल में है। यदि उसे किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक न हो तो उसे शीघ्र रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By T.R.Burman